


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/336 /
II-14-13/22

जबलपुर, दिनांक 08/फरवरी/2022.

निर्देशानुसार, श्रीमती सविता तिवारी, सीनियर ज्युडिशियल असि. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 14.02.2022 से दिनांक 26.03.2022 तक 41 दिन का सेवानिवृत्ति पूर्व अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।



(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/337 /
II-14-13/22

जबलपुर, दिनांक 08/फरवरी, 2022.

प्रतिलिपि :-

- 1- सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
- 2- असि. रजिस्ट्रार(एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. ए.ओ.(जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक वेतनपत्रक/सेवापुस्तिक/अवकाश/प्रोटोकाल,, उच्चन्यायालय म.प्र.जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. श्रीमती सविता तिवारी, सीनियर ज्युडि. असि. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)